100

4

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 19 / बीमा / व्य0एवंप0 / 2010–11 / 1017–1067 दिनांकः 04.12.19

-: आदेश :-

संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा) विभाग के पत्र क्रमांक प. 4(79)वित्त / राजस्व / 92 पार्ट दिनांक 20.11.2019 द्वारा राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम,1998 के नियम 11(2) संबंधी सभी प्रकरणों मे विभाग को नियम 11(4) मे एक बारीय शिथिलता प्रदान करते हुये यह स्वीकृति दी है कि नियम 11(2) के अन्तर्गत बढी हुयी प्रीमियम राशि की कटौती कराते समय अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियम 8(3) मे उल्लेखित रोगों से ग्रसित नही होने संबंधी धोषणा प्रपत्र बीमेदार के द्वारा जिस तिथि को प्रस्तुत किया गया है, वही धोषणा पत्र उक्त तिथि से पूर्व बढी हुई प्रीमियम राशि संबंधी सभी प्रकरणों के लिए भी मान्य होगा और उससे पूर्व के अधिक जोखिम वहन करने के प्रकरणों मे पृथक–पृथक धोषणा प्रपत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।

उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि :–

1. विभाग पे–मैनेजर पोर्टल मे शीध्र यह वेलीडेशन लागू करायेगा कि यदि कोई कार्मिक नियम 11(2) के तहत बढी हुई प्रीमियम राशि की कटौती कराना चाहता है,तो उसे पहले नियम 8(3) के तहत उल्लेखित रोगों से ग्रसित नहीं होने का धोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा,उसके उपरान्त ही पे–मैनेजर पोर्टल मे बढी हुई प्रीमियम राशि फीड हो सकेगी।
2. विभाग दिनांक 01.04.2020 से पूर्व सभी पॉलिसियों को एसआईपीएफ पोर्टल मे अपडेट करते हुए अधिक जोखिम संबंधी समस्त कॉन्ट्रेक्ट की डिटेल्स एसआईपीएफ पोर्टल मे फीड कराया जाना सुनिश्चित करेगा ।
3. दिनांक 01.04.2020 से नियम 11(2) के अन्तर्गत बढी हुई प्रीमियम राशि हेतु नियम 17 के अनुसार 60 दिवस की अवधि मे अधिक जोखिम संबंधी कॉन्ट्रेक्ट जारी किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

अतः समस्त जिला कार्यालय को निर्देशित किया जाता है वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(आनन्द स्वरूप)
IRS
निदेशक

K-2462-1